विभागवार संचिकास्त संचिकाओं की सूची–2013
मई–2013

शिक्षा विभाग

क्रम सं0	संचिका संख्या	विषय	संचिकास्त की तिथि	अंतिम आदेश
1.	02/लोक(शिक्षा)13/2013	वेतन का भुगतान नहीं होने के संबंध में मो0 हाशिम, निलंबित शिक्षक, राजकीय उर्दू मध्य विद्यालय अरू (सेनहा), लोहरदगा का परिवाद ।	16.05.2013	माननीय लोकायुक्त के द्वारा गठित तीन सदस्सीय समिति के विस्तृत जांच प्रतिवेदन के अनुसार परिवादी द्वारा जिला शिक्षा अधीक्षक लोहरदगा श्रीमती फरहाना खातुन के विरूद्ध लगाये गये आरोप सही नहीं पाये गये तथा परिवादी स्वयं अपने कर्तब्य के निर्वाहन से अनुपस्थित रहने के आदि हैं। उक्त के आलोक में परिवाद को निरस्त करते हुए बंद कर दिया गया ।
2.	02/लोक(शिक्षा)11/11	श्री हेमगिरि गोराई सेवानिवृत शिक्षक, गंधनिया उत्क्रमित मध्य विद्यालय काड़ाडुबा, घाटशिला के सेवानिवृत भुगतान के संबंध में परिवाद ।	14.05.2013	संबंधित विभाग से प्राप्त प्रतिवेदन तथा परिवादी से प्राप्त मंतब्य कि आलोक में परिवादी के सभी देय पावनाओं के भुगतान हो गया है । उक्त के आलोक में माननीय लोकायुक्त द्वारा परिवाद पर अग्रतर कार्रवाई बंद कर दिया गया ।

विद्युत विभाग

क्रम सं0	संचिका संख्या	विषय	संचिकास्त की तिथि	अंतिम आदेश
1.	02/लोक(विद्युत)01/2013	पारिवारिक पेंशन नहीं मिलने के संबंध में श्री संतोष वर्मा का परिवाद ।	17.05.2013	झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार परिवादी के माँ को उनके स्व0 पति के सेवान्त लाभ तथा पारिवारिक पेंशन का भुगतान कर दिया गया है । उक्त के आलोक में परिवाद को माननीय लोकायुक्त द्वारा बंद कर दिया गया ।

पुलिस विभाग

क्रम	संचिका संख्या	विषय	संचिकास्त की	अंतिम आदेश

सं0			तिथि	
1.	02/लोक(पुलिस)36/12	गोला थाना के पुलिस पदाधिकारी श्री जितेन्द्र कुमार सिंह के द्वारा हमारे परिवार को परेशान करने के संबंध में श्री बसंत कुमार कुशवहा रामगढ़ का शिकायत ।	13.05.2013	पुलिस अधीक्षक रामगढ़ से प्राप्त जांच प्रतिवेदन के अनुसार परिवादी का आरोप कि पुलिस उनके परिवार को परेशान कर रही है, सही नहीं पाया गया । उक्त के आलोक में परिवाद माननीय लोकायुक्त द्वारा बंद कर दिया गया ।
2.	02/लोक(पुलिस)21/12	श्री प्रभु चौहान के पुत्र कनहैया कुमार उम्र 15 वर्ष का अपहरण कर फिरौती मांगने के संबंध में शिकायत ।	13.05.2013	पुलिस अधीक्षक, धनबाद से प्राप्त जांच प्रतिवेदन के अनुसार अपहरण का यह काण्ड संदिग्ध पाया गया है । अपहरित कन्हैया कुमार के बरामदगी के पश्चात ही अंतिम निष्कर्ष पर पहुँचा जा सकता है । उक्त के आलोक में परिवाद पर माननीय लोकायुक्त द्वारा कार्रवाई बंद कर दिया गया ।
3.	02/लोक(पुलिस)10/12	जबरन कुँआ खोदवाने तथा दिवार तोड़ने के संबंध में थाना प्रभारी चिरकुण्डा श्री अनिल सिंह द्वारा कार्रवाई नहीं किये जाने के संबंध में श्री विश्वनाथ पंडित चिरकुण्डा का परिवाद ।	17.05.2013	अंचलाधिकारी चिरकुण्डा से प्राप्त जांच प्रतिवेदन के अनुसार जिस भूमि पर कुँआ का निर्माण किया गया है वह "गैर आबाद खास " जमीन है तथा जमाबंदी किसी के नाम से नहीं है । उक्त के आलोक में परिवादी का दावा खारिज करते हुए परिवाद को माननीय लोकायुक्त द्वारा बंद कर दिया गया ।

राजस्व विभाग

कम सं0	संचिका संख्या	विषय	संचिकास्त की तिथि	अंतिम आदेश
1.	02/लोक(राजस्व)08/2012	P.A. वाद सं. 12/08, अनुमंडल पदाधिकारी देवघर द्वारा प्रधानी नियुक्ति में अंचल कार्यालय सारवाँ के द्वारा गलत नियुक्ति सूची के संबंध में श्री कमला प्रसाद साह, कास्टर टाऊन देवघर का परिवाद ।	14.05.2013	उपायुक्त देवघर से प्राप्त प्रतिवेदन तथा परिवादी से प्राप्त मंतब्य के अनुसार केस सं. 5610 उपायुक्त देवघर के समक्ष प्रक्रियाधीन है तथा रैयतो के सूची का सत्यापन से संबंधित केस मुख्य सूचना आयुक्त के न्यायालय में लंबित है । उक्त के आलोक में परिवाद पर अन्य कार्रवाई की आवश्यकता नहीं है ।
2.	01/लोक(राजस्व)05/2011	जमीन के दाखिल–खारिज में जांच प्रतिवेदन में तिथियों का हेर फेर करने के संबंध में रेशमन महतो बाघमारा, गिरिडीह का परिवाद ।	14.05.2013	उपायुक्त गिरिडीह, से प्राप्त जांच प्रतिवेदन तथा प्रतिवदियों से प्राप्त जवाब के अनुसार इसी परिवाद पर परिवादी द्वारा अपराधिक मुकदमा दायर किया गया है जो विचाराधीन है । उक्त के आलोक में परिवाद पोषणीय नहीं है।
3.	02/लोक(राजस्व)13/2012	श्री सुधीर कुमार रंजन, अनुमंडल पदाधिकारी चास द्वारा मानसिंक प्रताड़ना तथा नियमानुसार कार्य	14.05.2013	जिला प्रशासन बोकारो से प्राप्त जांच प्रतिवेदन के अनुसार परिवादी के परिवाद पर नियमानुसार

		नहीं किये जाने के संबंध में श्री कृष्णा सिंह सेवा निवृत वायु सैनिक,चास का परिवाद ।		कार्रवाई की गई तथा इसमें प्रशासन का कोई दोष नहीं है। साथ ही परिवादी द्वारा एक अपराधिक मुकदमा माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय में लंबित है । उक्त के आलोक में परिवाद पर माननीय लोकायुक्त द्वारा अग्रतर कार्रवाई बंद कर दिया गया ।

कृषि विभाग

कम सं0	संचिका संख्या	विषय	संचिकास्त की तिथि	अंतिम आदेश
1.	02/लोक(कृषि)36/2005	श्री शंकर बिहारी शरण को कृषि विपणन पर्षद, गढ़वा से भूमि मुआवजा दिलाने तथा पुत्र की नियुक्ति के संबंध में ।	13.05.2013	परिवद पूर्व से ही सिविल जज सिनियर डिविजन गढ़वा 2 के न्यायलय में लंबित है । उक्त के आलोक में परिवाद पर अग्रतर कार्रवाई माननीय लोकायुक्त द्वारा बंद कर दिया गया ।
2.	02/लोक(कृषि)01/12	श्री परमानंद चौधरी सेवा निवृत सहायक भूमि संरक्षा पदाधिकारी रामगढ़(दुमका) के लंबित बकाया क्रमशः पेंशन, उपादान, सामान्य भविष्यनिधि राशि, उपार्जित अवकाश 300 दिनो के समतुल्य राशि का भुगतान नहीं किये जाने के संबंध में ।	20.04.2013	परिवादी इसी वाद के संदर्भ में माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल किया था जिसके निर्देश में के आलोक में विभाग द्वारा कार्रवाई की जा रही है । अतः इस पर अनय कार्रवाई की आवश्यकता नहीं है। इसी आश्य के साथ माननीय लोकायुक्त द्वारा परिवाद को बंद कर दिया गया ।

शिक्षा विभाग

कम सं0	संचिका संख्या	विषय	संचिकास्त की तिथि	अंतिम आदेश
1.	01/लोक(पथ)04/11	एजाज अहमद सेल्फ इम्पलायड इंजिनियर देवघर बनाम श्री सत्यानंद सिन्हा, विशेष पदाधिकारी (या) सह निदेशक ए0 डी0 बी0 झारखण्ड, राँची ।	16.05.2013	निगरानी ब्यूरो से प्राप्त जांच विस्तृत जांच प्रतिवेदन के अनुसार परिवाद पत्र में लगाये गये आरोप सही नहीं पाया गया तथा परिवादी का पता और नाम भी गलत पाया गया । उक्त के आलोक में परिवाद पर माननीय लोकायुक्त द्वारा अग्रतर कार्रवाई बंद कर दिया गया ।

शिकायत /परिवाद

मई–2013

क्रम सं0	शिकायत संख्या	विषय	संचिकास्त की तिथि	अंतिम आदेश
1.	शिकायत सं. 107 / 2013	दान पत्र की आदिवासी जमीन को बेचने के संबंध में लोबो मार्डी , पूर्वी सिंहभूम का शिकायत ।	14.05.2013	शिकायत कर्त्ता को अन्य वैधानिक अनुतोष का लाभ प्राप्त है तथा उन्हे इसका लाभ लेना चाहिए । इस आश्य के साथ माननीय लोकायुक्त द्वारा परिवाद को बंद कर दिया गया ।
2.	शिकायत सं. 186 / 2013	विपक्षी पार्टी के मेल में आकर श्री संजीव कुमार लाल कार्यपालक दण्डाधिकारी, गिरिडीह के द्वारा गलत करने के संबंध में श्री रामचन्द्र प्रसाद साहु, डुमरी, गिरिडीह का शिकायत ।	14.05.2013	शिकायत कर्त्ता को अन्य वैधानिक अनुतोष का लाभ प्राप्त है तथा उन्हे इसका लाभ लेना चाहिए । इस आश्य के साथ माननीय लोकायुक्त द्वारा परिवाद को बंद कर दिया गया ।
3.	शिकायत सं. 183 / 2013	हजारीबाग एवं रामगढ़ जिलानतर्गत विभिन्न कोयला क्षेत्रों में अवैद्य खनन चोरी, एवं नुकसान पहुँचाने के संबंध में श्री अदनान रामगढ़ का शिकायत ।	14.05.2013	यह शिकायत केन्द्र सरकार के लोक उपक्रम कोयला कम्पनी के विरूद्ध किया गया है जो झारखण्ड लोकायुक्त अधिनियम 2001 के अन्तर्गत नहीं आते हैं। अतः शिकायत को माननीय लोकायुक्त द्वारा खारिज कर दिया गया ।
4.	शिकायत सं0 214 / 2013	सरकारी अधिवक्ता (SC/ST न्यायालय) द्वारा गवाहों से रूपये की मांग करने के संबंध में श्री शिबू महतो तथा दिलीप कुमार रामगढ़ का शिकायत ।	17.05.2013	परिवाद झारखण्ड लोकायुक्त अधिनियम 2001 के तहत पोषणीय नहीं है,। अतः परिवाद को सचिव , विधि विभाग को प्रेषित करते हुए परिवाद माननीय लोकायुक्त द्वार बंद कर दिया गया ।
5.	शिकायत सं. 188 / 2013	सदर थाना काण्ड सं. 247 / 12 द्वारा अवर निरीक्षक मथुरा गोस्वामी द्वारा झूठी प्राथमिकी दर्ज कर प्रताड़ित करने के संबंध में श्रीमती सोनु जैन, चेसायर होम रोड, सदर राँची का शिकायत ।	14.05.2013	यह शिकायत झारखण्ड लोकायुक्त अधिनियम 2001 के तहत पोषणीय नहीं है तथा परिवादी को अन्य अनुतोष का लाभ प्राप्त है । अतः परिवाद को माननीय लोकायुक्त द्वारा बंद कर दिया गया ।
6.	शिकायत सं.218 / 2013	चोरी के घटना में थाना प्रभारी कोतवाली, देवघर, आई. डी. राम एवं जांच पदाधिकारी सूचना अधीक्षक मो0 असलम के द्वारा आरोपियों को बचाने के संबंध में मो0 इम्तियाज मियां, मधुपुर का शिकायत ।	13.05.2013	पुलिस द्वारा केस सं. 250 / 12 में कार्रवाई की जा रही है तथा इसका अनुसंधान लंबित है । अतः इस में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। उक्त के आलोक में शिकायत पर अग्रतर कार्रवाई माननीय लोकायुक्त ब ं द कर दिया गया ।
7.	शिकायत सं. 242 / 13	गढ़वा थाना काण्ड सं. 65 / 13 जी0 आर0 सं.0 434 / 13 न्यायालय में लंबित मामले पर पुलिस द्वारा अभ्युिक्तों को गिरफतार नहीं करने के संबंध में गुलशन नाज, पलामू का शिकायत ।	17.05.2013	परिवादीनी का केस सं. 434 / 2013 सक्षम न्यायल में लंबित है तथा न्यायालय द्वारा मामले की जांच हेतु उचित आदेश परित किया जा चूका है। अतः इस वाद में अन्य कार्रवाई की आवश्यकता नहीं है तथा इस पर अग्रतर कार्रवाई बंद कर दिया गया ।
8.	शिकायत सं. 143 / 2013	उत्तम कुमार गिरि (झोला छाप डॉक्टर) केरूकोचा, चाकुलिय द्वारा कालातीत एवं नकली दवाई से ग्रामीणों	13.05.2013	यह शिकायत सामान्य प्रकृति का है तथा बिना किसी सबूत तथा शिकायत कर्त्ता के पता का है। अतः माननीय

		का इलाज कर जान माल की हानि करने के संबंध में श्री मनोज मुर्मू का शिकायत ।		लोकायुक्त द्वारा इसको खारिज करते हुए बंद कर दिया गया ।
9.	शिकायत सं. 237/2013	आदर्श एच. ई. सी. कर्मचारी गृह निर्माण सहयोग समिति लिमिटेड के ससचिव का प्रभर नहीं मिलने के संबंध में संतलाल सावए सचिव, धुर्वा राँची का शिकायत ।	17.05.2013	शिकायत झारखण्ड लोकायुक्त अधिनियम 2001 के अन्तर्गत पोषणीय नहीं है तथा यह इसके क्षेत्राधिकार से बाहर है। अतः परिवाद को माननीय लोकायुक्त द्वारा बंद कर दिया गया ।
10.	शिकायत सं. 210/2013	माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय के द्वारा पारित आदेश के बावजूद भी निलंबित अवधि का वेतन भुगतान नहीं किये जाने के संबंध में श्री तारकेश्वर प्रसाद सिंह, लेखा लिपिक, ग्रामीण कार्य विभाग दुमका का परिवाद ।	15.05.2013	परिवाद पर माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय के द्वारा पूर्व में उचित आदेश पारित किया जा चूका है। परिवादी को अन्य वैद्यानिक अनुतोष का लाभ प्राप्त है । अतः परिवाद पर अन्य कार्रवाई की आवश्यकता नहीं है ।
11.	शिकायत सं. 197213	सेवान्त लाभ के भुगतान के संबंध में श्री राम अवद्य साह, डालमिया नगर, रोहतास का शिकायत ।	15.05.2013	शिकायत सीधे माननीय लोकायुक्त को संबोधित नहीं है कई अन्य प्राधिकार को एक साथ दिया गया है साथ ही कोई शपथ पत्र तथा कोर्ट फी भी संलग्न नहीं है । अतः शिकायत झारखण्ड लोकायुक्त अधिनियम 2001 के धारा 6(1)(क) के तहत पोषणीय नहीं है। अतः शिकायत को माननीय लोकायुक्त द्वारा खारिज करते हुए बंद कर दिया गया ।